भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3579

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कारों पर कर को घटाना

3579. श्री गुरमीत सिंह मीतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्टूबर, 2024 तक, विक्रय में गिरावट के कारण 79,000 करोड़ रुपये की लगभग 7.9 लाख विक्रय न की जा सकी कारें डीलर यार्ड में पड़ी हैं, इन्वेंटरी का स्तर आदर्श 30-35 दिनों की तुलना में 80-85 दिनों तक बढ़ गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, कारों पर लगभग 42 प्रतिशत प्रभावी कर ने वाहनों को तीव्रता से गैर-वहनीय कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्यम वर्ग हेतु वहनीयता में सुधार के लिए यात्री वाहनों पर उपकर या अधिभार के बिना कर को घटाकर जीएसटी 18 प्रतिशत तक करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विलासिता के बजाय मध्यम वर्ग की आवश्यकता वाले वाहनों पर उच्च कर बनाए रखने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऑटोमोटिव क्षेत्र की सहायता करने और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए खोजे जा रहे वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): अक्तूबर, 2024 में यात्री वाहनों की बिक्री, अक्तूबर, 2023 की तुलना में 0.9% की वृद्धि के साथ 3.93 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे अधिक बिक्री है। यह उच्च वृद्धि वाहन व्हिकल पंजीकरण डाटा में भी प्रदर्शित हो रही थी, जिसमें अक्तूबर, 2023 की तुलना में अक्तूबर, 2024 में यात्री वाहनों के पंजीकरण में 30% से अधिक की वृद्धि दर्शाई है।

(ख): जीएसटी दरें, जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर आधारित हैं, जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यात्री वाहनों पर जीएसटी को कम करने या उपकर दर की प्रतिपूर्ति के लिए जीएसटी परिषद् द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ग): जीएसटी से पहले के कर मामलों जैसे कारकों के आधार पर, जीएसटी परिषद् ने वाहन की श्रेणी के अनुसार लागू उपकर दर की प्रतिपूर्ति के साथ 28% की जीएसटी दर की सिफारिश की है। प्रतिपूर्ति की दरें निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	वाहन का प्रकार	उपकर प्रतिपूर्ति दर
1.	पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से कम और लंबाई 4000 एमएम से अधिक न हो	1%
2.	1500 सीसी से कम इंजन क्षमता और 4000 एमएम तक की लंबाई वाले डीजल वाहन	3%
3.	मोटर वाहन जिनकी लंबाई 4000 एमएम से अधिक हो लेकिन इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हों	17%
4.	1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले मोटर वाहन, लेकिन जो यूटिलिटी वाहन न हों	20%
5.	1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता, 4000 एमएम से अधिक लंबाई तथा 170 एमएम या उससे अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस वाले यूटिलिटी वाहन	22%

(घ) : सरकार ने सितंबर, 2021 में भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग (पीएलआई-ऑटो) के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है, ताकि 25,938 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इस स्कीम में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्यों में, लागत संबंधी चुनौतियों पर नियंत्रण, किफायत करना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को तैयार करना शामिल है।

*****